संख्या– /VI-I/2007–2(3)/2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक : 19 नवम्बर, 2007

विषयः– पीपुल्स कालेज परिसर हल्द्वानी में निर्मित ओलम्पिक साईज के तरणताल की मरम्मत, रंगाई, पुताई व जीर्णोद्धार कार्य के आंगणन पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आपके पत्र संख्या–2257/त.ता.प./2007–08 दिनांक–06 अगस्त, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीपुल्स कालेज हरिद्वार में निर्मित ओलम्पिक साईज के तरणताल की मरम्मत, रंगाई, पुताई व जीर्णोद्धार कार्य हेतु टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित रूपये 8.76 लाख (रूपये आठ लाख छियहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

vii) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाएं।

viii) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

IX) जी.पी.डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–00–102–खेलकूद स्टेडियम (लघु शीर्षक–108 के स्थान पर) –09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण–24–वृहत्त निर्माण मानक मद के आयोजनागत (राज्य सेक्टर) पक्ष के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–646 (पी)/वित्त अनु0–3/2007 दिनांक–07 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 1000 /VI-I/2007–2(4)2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून, सचिवालय।
8. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–2, कन्स्ट्रक्शन विंग, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव